संख्या:150/2026/1110/आठ-1-26/2033264

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 09 सितम्बर, 2026**

विषयः तारामण्डल गोरखपुर, वसन्धुरा इंक्लेव आवासीय योजना से होते हुए बैंक आफ बड़ौदा देवरिया बाईपास एवं महाराणा पार्क ग्रिन वुड आवासीय योजना, गोरक्ष आवासीय योजना होते हुए पैडलेगंज चौराहा तक रोड चौड़ीकरण व आर0सी0सी0 नाला एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य संबंधी परियोजना में 11 के0वी0/एल0टी0 लाईन शिफ्टिंग की धनराशि को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत (2026-27) के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-77/2026/386/आठ-1-26/2033264, दिनांक 30.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **तारामण्डल गोरखपुर, वसन्धुरा इंक्लेव आवासीय योजना से होते हुए बैंक आफ बड़ौदा देवरिया बाईपास एवं महाराणा पार्क ग्रिन वुड आवासीय योजना, गोरक्ष आवासीय योजना होते हुए पैडलेगंज चौराहा तक रोड चौड़ीकरण व आर0सी0सी0 नाला एवं सौन्दर्यीकरण के** कार्य संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 2258.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 1129.03 लाख वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आपके पत्र संख्या-363/अभि0 अनु0/गो0वि0प्रा0/2026-26, दिनांक 25.06.2026 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित रू0 2719.58 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 2658.37 लाख पर मूल्यांकित किया गया है।

3- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तारामण्डल गोरखपुर, वसन्धुरा इंक्लेव आवासीय योजना से होते हुए बैंक आफ बड़ौदा देवरिया बाईपास एवं महाराणा पार्क ग्रिन वुड आवासीय योजना, गोरक्ष आवासीय योजना होते हुए पैडलेगंज चौराहा तक रोड चौड़ीकरण व आर0सी0सी0 नाला एवं सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना में **11 के0वी0/एल0टी0 लाईन शिफ्टिंग के कार्य** को सम्मिलित करते हुए प्रश्नगत परियोजना हेतु मूल्यांकित लागत

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 2658.37 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की होगी तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये। कार्यदायी संस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण होगी एवं प्राधिकरण द्वारा लाईन शिफिटंग के कार्य को किये जाने हेतु भी निविदा की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामाग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) कार्य की द्विरावृति को रोकने के दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित/प्रस्तावित है।

(8) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा दिनांक 19.03.2026 एवं व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 30.07.2026 में लगायी गयी समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (**CONSUMED)** हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग/ ई0एण्डएम0 इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(13) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप के संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाए, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या–ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(16) प्रश्नगत परियोजना हेतु सीड कैपिटल के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज मुक्त होगी, जिसकी अदायगी आगामी 10 वर्षो में समान वार्षिक किश्तों में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य सरकार को सुनिश्चित की जायेगी।

(17) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निधार्रित समयावधि में सीड कैपिटल की अदायगी न करने की दशा में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा डिफाल्ट अवधि के लिए 3.5 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज भी राज्य सरकार को देय होगा।

(18) गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीड कैपिटल से प्राप्त धनराशि को प्रश्नगत परियोजना पर ऐसी जगह निवेश करेंगे, जहां से आय अर्जित हो सके, ताकि प्राधिकरण द्वारा इसकी अदायगी समय से सुनिश्चित की जा सके।

(19) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जब तक सीड कैपिटल की समय से अदायगी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक सम्बन्धित प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

(20) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-गोरखपुर विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल

http://shasanadesh.up.nic.in

एजेंसी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

(22) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या-05/2021/**File No.** 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "**Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India,** 2021" दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(23) कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति के समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मार्ग की प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन एवं क्रस्ट कम्पोजीशन आई0आर0सी0/लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप है।

(24) मूल स्वीकृति प्रायोजना की निर्धारित शर्तें यथावत लागू बनी रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2026-27** के आय-व्ययक अनुदान संख्या-**002** के लेखाशीर्षक-4217608000800 लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे विकसित करने हेतु मानक मद 30 निवेश/ऋण मद में डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-8-261-X-2026-27**-दिनांक: **24.08.2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या:150/2026/1110(1)/आठ-1-26/2033264, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
शिव पूजन
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in